

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-17 / विविध 1-144 / 2024-

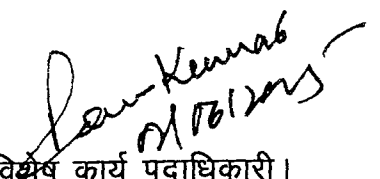
पटना, दिनांक- / / 2025

डा० आकांक्षा सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, कार्डियोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को वित्त विभागीय पत्रांक-9889/वि० दिनांक-01.12.2015 के आलोक में दिनांक-09.10.2024 से 06.04.2025 तक कुल-180 दिनों के लिए अपने प्रथम संतान हेतु मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

- ज्ञापांक :-17 / विविध 1-144 / 2024- 566/17) पटना, दिनांक :-02 / 06 / 2025
- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/डा० आकांक्षा सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, कार्डियोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।